**न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरिद्वार ।**

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या : 135/2022

कम्प्यूटर नम्बर : 158/2022

जितेन्द्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी बनाम सरकार।

मु0अ0सं0: 08/2022

धाराः 153ए,298 भारतीय दंड संहिता, 1860
थानाः कोतवाली हरिद्वार, जिला हरिद्वार।

अभियुक्त की ओर से : श्री उत्तम सिंह चौहान, श्री सुधीर त्यागी, श्री कुलवन्त सिंह चौहान विद्वान अधिवक्तागण।

अभियोजन की ओर से : श्री इन्द्रपाल बेदी, जिला शासकीय विद्वान अधिवक्ता (दाण्डिक) एवं वादी पक्ष के व्यक्तिगत अधिवक्तागण श्री सज्जाद अहमद, अधिवक्ता, श्री सलमान अहमद खान, अधिवक्ता

**दिनांकः 20–01–2022**

यह जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/अभियुक्त जितेन्द्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी पुत्र राजेश्वर त्यागी निवासी 394/13ए, कश्मीरी मौहल्ला थाना सादादत गंज, जिला लखनउ, उत्तर प्रदेश की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 08/2022, धारा 153ए,298 भारतीय दंड संहिता, 1860 थाना कोतवाली हरिद्वार, जिला हरिद्वार के मामले में ड्रॉप बॉक्स के माध्यम से द्वारा अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया है।

2. जमानत प्रार्थना–पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी एवं वादी पक्ष के निजी अधिवक्ता को गूगल मीट एप के द्वारा वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

3. अभियोजन के अनुसार अभियुक्त पर दिनांक 17 से 19 दिसम्बर 2021 तक उत्तरी हरिद्वार के भूपतवाला क्षेत्र में स्थित वेद निकेतन आश्रम में एक धर्म संसद का आयोजन कर उसमें मुस्लिम समुदाय को लेकर आपत्तिजनक एवं भडकाउ भाषण देने का अभियोग है।

4. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त मामले में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। धारा 295 भा0द0सं0 का कथित अपराध जमानतीय है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में ऐसा कोई तथ्य अंकित नही है जिससे यह यह स्पष्ट हो कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कथित रूप से मुसलमानों के विरूद्ध युद्ध छेडने और पैगम्बर साहब को अपमानित करने हेतु क्या आपत्तिजनक कथन किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के विरूद्ध धारा 153ए भा0द0सं0 का अपराध नही बनता है। प्रार्थी/अभियुक्त की रिकार्डिंग के सम्बन्ध में आवाज की जांच सम्बन्धी कोई साक्ष्य अभिलेख पर नही है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कोई लिखित कथन जारी किये जाने का कोई साक्ष्य अभिलेख पर नही है। समाचार पत्र में प्रकाशित कोई भी समाचार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध साक्ष्य में पठनीय नही है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मुस्लिम धर्म से हिन्दू धर्म परिवर्तन किया गया है, इसी से द्वेषवश प्रार्थी के विरूद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। कथित अपराध अधिकतम तीन

वर्ष के दंड से दंडनीय है तथा मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 13 दिन के विलम्ब से कानूनी राय से दर्ज करायी गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 13–01–2022 से जेल में है। प्रार्थी/अभियुक्त उचित जमानत देने को तैयार है। उक्त कथनों पर जमानत दिये जाने की प्रार्थना की गयी।

5. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक के द्वारा, अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के जमानत प्रार्थनापत्र पर प्रस्तुत तर्कों का खण्डन करते हुए तर्क किया गया कि आरोपित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

6. अभियोजन प्रपत्रों के परिशीलन से प्रथम दृष्टया यह विदित है कि अभियुक्त के उपर धर्म विशेष को लेकर आपत्तिजनक एवं भडकाउ भाषण देने एवं इसी आशय से सामान्यजन के धार्मिक भावनाओं को भडकाने का अभियोग है। विवेचक के द्वारा जो रिपोर्ट दी गयी है, उसमें यह उल्लेख किया गया है कि अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 17 से 19 दिसम्बर, 2021 को भूपतवाला हरिद्वार क्षेत्र में स्थित वेद निकेतन आश्रम में एक धर्म संसद का आयोजन कर उसमें एक धर्म विशेष को लेकर आपत्तिजनक एवं भडकाउ भाषण दिया गया। अभियुक्त के खिलाफ कोतवाली नगर में इस घटना के संदर्भ में मुकदमा अपराध संख्या 849/2021 अर्न्तगत धारा 153ए भा0द0ंस0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी। इस मामले में दं0प्रं0सं0 की धारा 41 के अर्न्तगत अभियुक्त को नोटिस दिया गया, परन्तु अभियुक्त के द्वारा पुनः अपराध की पुनरावृत्ति की गयी।

7. मामले में वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता की तरफ से अभियुक्त के खिलाफ पहले दर्ज रहे कुल 53 अन्य आपराधिक मुकदमों की सूची दी गयी है, परन्तु वर्तमान मामले में जो रिपोर्ट विवेचक के द्वारा न्यायालय में दी गयी है, उसमें इन मुकदमों के संदर्भ में कोई उल्लेख नही है। अतः इस संदर्भ में कोई टिप्पणी नही की जा रही है।

8. वर्तमान मामला मु0अ0सं0 08/2022 अर्न्तगत धारा 153ए/298 ''भा0द0ंस0'' वर्तमान अभियुक्त तथा अन्य के खिलाफ है। पुलिस ने यह रिपोर्ट दी है कि अभियुक्त के द्वारा एक ही प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति की जा रही है, जिससे समाज के विभिन्न समुदायों में आक्रोश एवं अशांति का माहौल बना है। इस कृत्य से साम्प्रदायिक वैमन्स्य उत्पन्न हुआ है, जिसमें कभी भी विधि एवं व्यवस्था की स्थिति प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने एवं धर्म को लेकर दोनों समुदाओं में दंगे भडकने की पूर्ण सम्भावना है।

9. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्तागण के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय प्रस्तुत कर अभियुक्त को जमानत दिये जाने का तर्क दिया गया है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्तागण के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के न्याय निर्णयन Patricia Mukhim vs State of Meghalaya and others 2021 AIR (SC) 632, Arnesh Kumar vs State of Bihar AIR (SC) 2756, P. Chidambaram vs CBI 2020 CrLJ 663 तथा Sujato Bhadra vs

State of West Bengal Decided on 22 September 2005 तथा माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्याय निर्णयन Hari Gupta and Another vs State of Uttarakhand UC 2014 1747, Smt. Reena vs State of Uttarakhnd UC 2014 2050 को प्रस्तुत किया गया है। इस न्यायालय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के तथा माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय के उक्त न्याय निर्णयनों का सादर अवलोकन किया गया। जहॉ तक वर्तमान मामले में प्रथम दृष्टया धारा 153ए एवं धारा 298 ''भा0द0सं0'' के अपराध के आवश्यक तत्वों का प्रश्न है। वर्तमान मामले की तहरीर है, पुलिस की केस डायरी व अन्य सुसंगत प्रपत्रों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया उक्त अपराध के आवश्यक तत्व विद्यमान प्रतीत होते हैं।

10. माननीय उच्चतम न्यायालय ने Neeru Yadav vs State of U.P 2015(4) Crimes 101(S.C) के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि जमानत के स्तर पर अभियुक्त का पूर्व का अपराधिक इतिहास दृष्टिगत रखा जाना चाहिये। माननीय उच्चतम न्यायालय ने State of Orissa vs Mahimananda Mishra 2019(1) Criminal Court Cases 542 के मामले में भी यह कहा है कि जमानत प्रार्थना पत्र के उपर विचार करते समय न्यायालय को अभियुक्त के खिलाफ लगाये गये प्रथम दृष्टया अपराध, अभियुक्त के द्वारा उसी अपराध को पुनः करने की प्रवृत्ति, साक्षियों को प्रभावित करने की सम्भावना तथा अभियुक्त के आपराधिक इतिहास को भी देखा जाना चाहिये और इन्हें विचार में लिया जाना चाहिये।

11. वर्तमान मामले में विवेचक ने यह रिपोर्ट दी है कि अभियुक्त के द्वारा दूसरे धर्म विशेष के विरूद्ध साम्प्रदायिक वैमनस्य व धार्मिक भावनाएं भडकाने वाले कथन किये गये हैं। इस संदर्भ में अन्वेषण के दौरान जो वादी मुकदमा से पेन ड्राईव जिसमें अभियुक्त के द्वारा भडकाउ भाषण देने का विडियो होना कथित है, को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65–बी का प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए विवेचक के द्वारा केस डायरी में उसका उल्लेख किया गया है। केस डायरी में यह उल्लेख है कि इस विडियो में अभियुक्त के द्वारा यह कहा गया है कि ''मौहम्मद अहंकारी था, मौहम्मद पागल व्यक्ति था, आतंकवादी था, आतंकी बुनियाद उसने पैदा की थी।'' केस डायरी में अभियुक्त के द्वारा आगे यह बोलते हुए विडियो में होने का उल्लेख है कि '' इन कट्टरपंथी मुल्लाओं के दबाव में यह हरिद्वार जो देवनगरी है, उसमें जब देखो चार–पांच हजार मुल्ला और मस्जिदों के मौलवी जमा हो जाते हैं।'' आगे केस डायरी में यह उल्लेख है कि अभियुक्त के द्वारा इस विडियो में विशेष धर्म के व्यक्तियों के बारे में यह कहा गया है कि '' अगर वो मैदान में आकर अगर हमसे असल्लहे से भी लडना चाहे तो हम उसके लिये भी तैयार है।''

12. अभियोजन प्रपत्रों के परिशीलन से प्रथम दृष्टया यह भी विदित है कि अभियुक्त के खिलाफ समान प्रकृति का कृत्य करने एवं भडकाउ भाषण देने के संदर्भ में पहले मु0अ0सं0 810/2021 अर्न्तगत धारा 153ए, 504 भा0द0सं0 दर्ज किया गया। पुलिस ने अन्वेषण के दौरान अभियुक्त को

दं0प्रं0सं0 की धारा 41क के अर्न्तगत नोटिस तामील कराया, परन्तु उसके उपरान्त भी अभियुक्त के द्वारा दिनांक 17 से 19 दिसम्बर 2021 को आयोजित धर्म संसद में पुनः धर्म विशेष के खिलाफ असौहार्द्र, घृणा व वैमन्स्य की भावना को भडकाने वाली बातें कही गयी, जिस पर पुलिस के द्वारा अभियुक्त के खिलाफ मु0अ0सं0 849/2021 अर्न्तगत धारा 153ए/295 भा0द0ंस0 दर्ज किया गया तथा अभियुक्त को दिनांक 28 दिसम्बर, 2021 को पुनः ''दं0प्र.0सं0'' की धारा 41–क का नोटिस दिया गया।

13. अतः प्रथम दृष्टया विदित है कि वर्तमान अभियोग जिसमें अभियुक्त को गिरफतार किया गया है, उसके पूर्व के दो घटनाओं के संदर्भ में उसके खिलाफ उक्त मुकदमा अपराध संख्या 810/2021 अर्न्तगत धारा 153ए/504 ''भा0द0ंस0'' तथा मु0अ0सं0 849/2021 अर्न्तगत धारा 153ए/295 ''भा0द0ंस0'' दर्ज किया जा चुका था तथा उसे दं0प्रं0सं0 की धारा 41–क के अर्न्तगत नोटिस भी दिया जा चुका था। इस प्रकार प्रथम दृष्टया अभियुक्त के द्वारा समान प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति का भी अभियोग है। प्रथम दृष्टया यह विदित है कि अभियुक्त के द्वारा समान प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति की गयी है, तदोपरान्त ही वर्तमान मामले में अभियुक्त की गिरफतारी हुयी है। यह भी कि मामले में अभी विवेचना लम्बित है तथा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत इस बात से इंकार नही किया जा सकता कि जमानत प्राप्त होने पर साक्ष्य से छेडछाड नही हो सकती। अतः इन समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय के विचार में अभियुक्त जमानत प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

14. अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत रखते हुए तथा अभियुक्त के उपर लगाये गये आरोप की गम्भीरता एवं अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये अभियुक्त को जमानत दिये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

## आदेश

15. उपरोक्तानुसार अभियुक्त जितेन्द्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी का जमानत प्रार्थना पत्र उपरोक्त धाराओं में निरस्त किया जाता है। इस आदेश की एक प्रतिलिपि अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को निःशुल्क प्रदान की जाये।

**( रीतेश कुमार श्रीवास्तव )**
प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
हरिद्वार।

दिनांकः 20–01–2022